उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग–01

संख्याः 283712/III(1)/2025–59217/EST/4/2023

देहरादूनः दिनांक 21 मार्च, 2025

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975/III(1)/2024–59217/PRO/4/2023, दिनांक 11.07.2024 द्वारा शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 589/III(1)/18–101(अधि0)/10, दिनांक 08.05.2018 में संशोधन कर लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 (ज्येष्ठता कमांक 381 से 469) में ज्येष्ठता कमांक 389 'ए' एवं ज्येष्ठता कमांक 430 'ए' पर कमशः श्री रणवीर सिंह पंवार एवं श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की अनन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित कर परिचालित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11.07.2024 के विरूद्ध श्री रणवीर सिंह पंवार के विरूद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जबकि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों के कम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या 199/37व्यक–सा0/2025, दिनांक 17.02.2025 के माध्यम से प्राप्त टिप्पणी के आलोक में सम्यक परीक्षणोंपरान्त निम्न तालिका के कॉलम–4 के अनुसार निराकरण किया जाता है:–

क0 सं0	आपत्तिकर्ता का नाम/पदनाम/आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	आपत्ति के बिन्दु	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3	4
1	श्री गोविन्द सिंह कौण्डल, सहायक अभियन्ता, दिनांक 24.07.2024	सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची भाग–4 (कमांक 381 से 469 तक) में संशोधन किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975, दिनांक 11.07.2024 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध श्री गोविन्द सिंह कौण्डल द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 24.07.2024 के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर दिनांक 01.09.2004 को योगदान प्रस्तुत किया गया है, जबकि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा दिनांक 08.05.2012 को विभाग में योगदान प्रस्तुत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1631/132 व्यव I–सामान्य/ 2014, दिनांक 26.09.2014 द्वारा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को उनके पूर्व विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता/ संगणक पद पर की गयी सेवा को इनके वेतन निर्धारण	आपत्तियों के सम्यक परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त अवर/कनिष्ठ अभियन्ता परीक्षा–2002 के चयन परिणाम दिनांक 15.05.2004 के आधार पर श्री गोविन्द सिंह कौण्डल, श्री अमित कुमार वर्मा एवं श्री सतीश कुमार की लोक निर्माण विभाग में नियुक्ति कमशः अ0ज0जा0 श्रेणी, अ0पि0व0 एवं अनुसूचित जाति के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर वर्ष 2004 में हुई है। उक्त चयन में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किये जाने फलस्वरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 165/2004 अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 13.06.2011 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 492/4/9/गोपन/2002–03, दिनांक 01.12.2011 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिव्यांग श्रेणी (ओ0एल0) के अन्तर्गत श्री नीरज कुमार त्रिपाठी चयनित हुये। तत्कम में कार्यालय विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र संख्या

File No. PWD-EST/PRO/4/2023-III-1-Public Works Department (Computer No. 59217)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section 1-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 09:50 AM

		की सुविधा हेतु जोड़ी गयी थी, जबकि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को बिना परिवीक्षाकाल पूरा किये ही दिनांक 01.07.2013 से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।	136 / 28व्यय–सा0 / 2011, दिनांक 09.04.2012 द्वारा श्री त्रिपाठी को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या–17 / गो0 / 13, दिनांक 25.04.2013 द्वारा संयुक्त अवर / कनिष्ठ अभियन्ता (सीधी भर्ती) परीक्षा–2002 के अन्तर्गत सफल कनिष्ठ
2	श्री अमित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता, दिनांक 24.07.2024	शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975, दिनांक 11.07.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची भाग–4 (क्रमांक 381 से 460 तक) में संशोधन किये जाने हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध श्री अमित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 27.07.2024 के माध्यम से अपने पूर्व प्रत्यावेदनों दिनांक 12.09.2022, 21.09.2022 एवं 26.09.2022 का उल्लेख करते हुये विस्तृत रूप से अवगत कराया गया है कि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता की सेवा अभिलेखों की गहन जांच कराते हुये ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 841 / 28व्यय I–उत्तरांचल / 04, दिनांक 10.08.2004 के क्रम में दिनांक 20.08.2004 को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर (सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत) योगदान प्रस्तुत किया गया। तदनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2916 / 07 व्यय–सा0 / 09, दिनांक 01.10.2009 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 530 पर उनकी ज्येष्ठत निर्धारित की गयी। उक्त के अतिरिक्त उन्हें दिनांक 08.04.2015 को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिव्यांग–पत्र निर्गत किया गया। जबकि नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 09.04.2012 के क्रम में दिनांक 08.05.2012 को कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत योगदान प्रस्तुत किया गया। तदनुसार श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता सूची दिनांक	अभियन्ताओं की पारस्परिक श्रेष्ठता सूची निर्गत की गयी, जिसमें श्री अमित कुमार वर्मा, श्री नीरज कुमार त्रिपाठी, श्री सतीश कुमार एवं श्री गोविन्द सिंह कौण्डल का क्रमांक क्रमशः 236 (अ0पि0व0), 237 (सामान्य / दिव्यांग 'ओ0एल0' श्रेणी), 305 (अनुसूचित जाति) एवं 348 (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) निर्धारित किया गया। तदनुसार प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 897 / 02व्यय–सा0 / 13, दिनांक 22.10.2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत अंतिम ज्येष्ठता सूची (भाग–2), दिनांक 08.10.2009 में संशोधन करते हुये श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता क्रमांक 530'ए' निर्धारित किया गया। जबकि उक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 08.10.2009 में श्री अमित कुमार वर्मा, श्री सतीश कुमार एवं श्री गोविन्द सिंह कौण्डल की ज्येष्ठता क्रमांक क्रमशः 530, 593 एवं 630 पर ज्येष्ठता निर्धारित थी। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1631 / 132व्यय I–सा0 / 14, दिनांक 29.09.2014 द्वारा सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के नियम 422 एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2(II-IV) के नियम 22 'सी' के प्राविधानान्तर्गत श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को पूर्व विभाग (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग) की सेवा (दिनांक 26.12.2005 से दिनांक 08.05.2012 तक की) को जोड़े जाने एवं वेतन निर्धारण की सुविधा प्रदान की गयी। लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) सिविल से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति द्वारा चयन हेतु दिनांक 16.04.2018 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में चयन समिति की आहूत बैठक में श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिव्यांग कोटे में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन की संस्तुति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–862 / III(1) / 18–04(21) लो0नि0 / 17, दिनांक 25.06.2018 द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गयी।

File No. PWDI-EST/PND/4/2023-III-t-Public Works Department (Computer No. 59217)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section I-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 03:50 AM

		01.10.2009 के ज्येष्ठता कमांक 530 'ए' पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी। श्री त्रिपाठी को विभागाध्यक्ष के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1631 / 132व्या I–सामान्य / 14, दिनांक 26.09.2014 द्वारा पूर्व में की गयी सेवा को जोड़ने एवं वेतन निर्धारण की सुविधा प्रदान की गयी है, जो कि नियम विरूद्ध है। श्री वर्मा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को नियम विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 862 / III(1) / 18–04(21)रि0या0 / 17, दिनांक 25.06.2018 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। तदोपरान्त उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 852 / एस0बी0 / 2018 अमित कुमार वर्मा बनाम राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय के पारित आदेश के कम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 260 / III(1) / 20–21(रि0या0) / 17, दिनांक 31.01.2020 द्वारा उन्हें दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। तदनुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची मे श्री त्रिपाठी की ज्येष्ठता कमांक 582 तथा उनकी 605 पर निर्धारित की गयी है, जो कि ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानान्तर्गत उचित नहीं है। यदि श्री त्रिपाठी को वर्ष 2024 में दिनांक 01.07.2013 से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, तो अन्य दिव्यांग कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 01.07.2013 से पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश किया गया है।	उल्लेखनीय है कि श्री अमित कुमार वर्मा, श्री सतीश कुमार एवं श्री गोविन्द सिंह कौण्डल की विभाग में नियुक्ति वर्ष 2004 में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर कमशः अ0पि0व0, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कोटे के अन्तर्गत हुई है। उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा विभाग में नियुक्ति के उपरान्त दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित करने के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध के कम में महानिदेशक / अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून की परीक्षण आख्या दिनांक 17.01.2019 के आधार पर उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया। तदनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति पत्र संख्या 430 / 22 / ई–1 / DPC / 2019–20, दिनांक 28.01.2020 के कम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 260 / III(1) / 20–04 (21)रि0या0 / 17, ज्ञाप संख्या 261 / III(1) / 20–04(21)रि0या0 / 17, ज्ञाप संख्या 262 / III(1) / 20–04(21) / रि0या0 / 17, समदिनांक 31.01.2020 द्वारा कमशः श्री अमित कुमार वर्मा, श्री सतीश कुमार तथा श्री गोविन्द सिंह कौण्डल को दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। तदनुसार शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 158006 / III(1) / 2023–59217 / EST / 4 / 2023, दिनांक 04.10.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग–5 (ज्येष्ठता कमांक– 470 से 648) में श्री नीरज कुमार त्रिपाठी, श्री अमित कुमार वर्मा, श्री सतीश कुमार एवं श्री गोविन्द सिंह कौण्डल की ज्येष्ठता कमांक कमशः 581, 604, 605 एवं 625 पर निर्धारित की गयी। उल्लेखनीय है कि निर्देश याचिका संख्या 92 / डी0बी0 / 2022 रणबीर सिंह पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं Modifiation Application संख्या 04 / डी0बी0 / 2022 में मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 136296 / III(1) / 2023–39510 / MIS / 31 / 2022, दिनांक 12.07.2023 द्वारा श्री रणवीर सिंह पंवार को उनके आसन्न कनिष्ठ की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 13.08.2013 से नोशनल पदोन्नति प्रदान की गयी। उक्त के अतिरिक्त कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या 120139 / 2023, दिनांक 09.05.2023 द्वारा दिव्यांग श्रेणी के समूह 'ग' एवं 'घ' को आरक्षण प्रदान किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1673 / XXX(2) / 2010, दिनांक
3	श्री सतीश कुमार, सहायक अभियन्ता, दिनांक 30.07.2024	शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975, दिनांक 11.07.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची भाग–4 (कमांक 381 से 469 तक) में संशोधन किये जाने हेतु निर्गत ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध श्री सतीश कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये अवगत	

File No. PWD-EST/PRD/4/2023-III-1-Public Works Department (Computer No. 59217)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section 1-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 09:50 AM

		कराया गया है कि उनकी लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति वर्ष 2004 में हुयी है, लेकिन बचपन से दिव्यांग होने के बावजूद उन्हें दिव्यांग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। जबकि कोर्ट के माध्यम से अन्य कार्मिकों द्वारा दिव्यांग श्रेणी का लाभ लिया गया है। यदि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का लाभ दिनांक 01.07.2013 से प्रदान किया जा सकता है, तो उन्हें भी दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया है।	10.11.2010 में संशोधन करते हुये राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों हेतु समूह 'क' व 'ख' के पदों पर भी पदोन्नति प्रक्रम पर आरक्षण का प्राविधान किये जाने फलस्वरूप उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति पत्र संख्या 875/05/ई-4/ डी0पी0सी0/ 2023-24, दिनांक 01.02.2024 के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 197305/III(1)/ 2024-16789/PRO/2/2022, दिनांक 12.03.2024 द्वारा श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष दिनांक 01.07.2013 से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। उक्त के दृष्टिगत श्री रणवीर सिंह पंवार, सहायक अभियन्ता एवं श्री नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत पृथक-पृथक प्रत्यावेदनों क्रमशः दिनांक 14.03.2023 एवं 19.03.2024 के माध्यम से सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में वर्ष 2013 से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की ज्येष्ठता सूची भाग-4 (क्रमांक 381 से 469 तक) में संशोधन कर श्री रणवीर सिंह पंवार एवं श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की ज्येष्ठता क्रमांक 389 'ए' एवं 430 'ए' पर निर्धारित किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975, दिनांक 11.07.2024 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित की गयी। उक्त से स्पष्ट है कि श्री अमित कुमार वर्मा, श्री सतीश कुमार एवं श्री गोबिन्द सिंह कौण्डल की विभाग में वर्ष 2004 में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत नहीं हुई है। उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को सेवा में आने के उपरान्त महानिदेशक/अध्यक्ष, राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून की आख्या दिनांक 17.01.2019 के क्रम में प्रदत्त स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.01.2020 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, जबकि श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत होने तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25.04.2013 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ताओं की निर्गत पारस्परिक श्रेष्ठता सूची के आधार पर लोक निर्माण विभाग में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (डिप्लोमाधारी) सिविल से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन हेतु दिनांक 16.04.2018 को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में चयन समिति की आहूत बैठक में श्री नीरज कुमार त्रिपाठी को दिव्यांग कोटे में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन की संस्तुति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप शासन

File No. PWD1-EST/PRO/4/2023-III-1-Public Works Department (Computer No. 59217)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section 1-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 09:50 AM

			के कार्यालय ज्ञाप संख्या–862/III(1)/18–04(21)रि0या0/17, दिनांक 25.06.2018 द्वारा दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की पदोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गयी। तद्नुसार श्री त्रिपाठी को उच्चतर पदो पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या 36035, दिनांक 10.06.2009 एवं पत्र संख्या 36012/1/2020, दिनांक 17.05.2022 एवं कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 193548/XXX(2)/2024–E–61441, दिनांक 26.02.2024 के प्राविधानान्तर्गत अस्थायी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं किये जाने का प्राविधान है, अतः वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व की तिथि से सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग में ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह कोण्डल, श्री अमित कुमार वर्मा एवं श्री सतीश कुमार का आपत्ति/प्रत्यावेदन अग्राह्य है।

2– अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 589/III(1)/18–101(अधि0)/10, दिनांक 08.05.2018 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता संवर्ग (सिविल) की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग–4 (कमांक 381 से 469) में संशोधन किये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 223975/III(1)/2024–59217/PRO/4/2023, दिनांक 11.07.2024 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों का उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं संशोधन नियमावली, 2009 के प्राविधाना अन्तर्गत परीक्षण कर उपरोक्तानुसार निस्तारण करते सहायक अभियन्ता संवर्ग (सिविल) की अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग–4 (कमांक 381 से 469), दिनांक 08.05.2018 में हुये श्री रणवीर सिंह पंवार एवं श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की ज्येष्ठता निम्न तालिकानुसार निर्धारित की जाती है:–

ज्येष्ठता कमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती का स्रोत	सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
389	श्री इन्द्र दत्त भट्ट	श्री रामनाथ भट्ट	10.06.1960	पदोन्नति	13.08.2013	सेवानिवृत्त
389 A	श्री रणवीर सिंह पंवार	श्री जोत सिंह पंवार	10.03.1965	पदोन्नति	13.08.2013 (नोशनल)	मृत
390	श्री अब्बल सिंह राणा	श्री दौलत सिंह राणा	07.05.1960	पदोन्नति	13.08.2013	सेवानिवृत्त
430	श्री राजू अधिकारी	श्री हरी सिंह अधिकारी	01.06.1962	पदोन्नति	29.02.2016	सेवानिवृत्त
430 A	श्री नीरज कुमार त्रिपाठी	श्री जगदीश कुमार त्रिपाठी	06.10.1972	पदोन्नति	01.07.2013 (दिव्यांग श्रेणी हेतु आरक्षित पद के सापेक्ष)	दिव्यांग श्रेणी

le No. PWDI-EST/PRO/4/2023-III-1-Public Works Department (Computer No. 59217)
enerated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section 1-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 09:50 AM

431	श्री हितेश	श्री नवीन चन्द काण्डपाल	13.07.1990	सीधी भर्ती	05.02.2014	—

3— शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 158006/III(1)/2023—59217/EST/4/2023, दिनांक 04.10.2024 द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) संवर्ग की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग—5 (ज्येष्ठता कमांक—470 से 648 तक) में श्री नीरज कुमार त्रिपाठी की निर्धारित ज्येष्ठता कमांक 581 को निरस्त करते हुये उक्त ज्येष्ठता कमांक को विलोपित किया जाता है।

4— उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत मा0 न्यायालय/मा0 लोक सेवा अधिकरण में योजित वाद अथवा लम्बित किसी वाद में मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण के पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/परिणति के फलस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही के अधीन रहेगी।

Signed by
Pankaj Kumar Pandey
Date: 19-03-2025 15:57:08

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या व तिथि—तद्दैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2—मुख्य अभियन्ता (अधि0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड।
3—सम्बन्धित सहायक अभियन्तागण।
4—विभागीय आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

Signed by
Vineet Kumar
Date: 20-03-2025 18:15:29

(विनीत कुमार)
अपर सचिव।

File No. PWD-EST/PRO/4/2023-III-1-Public Works Department (Computer No. 59217)
Generated from eOffice by RAJENDRA SARKI, ARO-PWD Section 1-RS, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Public Works Department on 21/03/2025 09:50 AM